आरबीई सं. 159/2019
अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 83

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

ई(डब्ल्यू)2019/पीएस5-1/5 **नई दिल्ली, दिनांक 29.11.2019**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय: रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण-1993) [आरएसपीआर-1986] से गैर-रेल सेवकों को दी जाने वाली पास सुविधा से संबंधित मदों को हटाना।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 03.06.2019 का समसंख्यक पत्र।

आरएसपीआर-1986 के मौजूदा प्रावधानों के बजाय प्रशासनिक अनुदेशों के अंतर्गत गैर-रेल सेवकों की पास सुविधाओं को नियमित करने हेतु उक्त संदर्भित पत्र के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।

2. सक्षम प्राधिकारी ने अब आरएसपीआर-1986 की अनुसूची-VII के कॉलम सं. 2 एवं 3 के अंतर्गत विद्यमान गैर-रेल सेवकों की पास सुविधाओं से संबंधित सभी ऐसी मदों/प्रावधानों को हटाने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है। तदनुसार, मद सं. 18 (ii से vi), 22, 24 (ii एवं iii), 25, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 (दिनांक 31.08.1998 की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 10 के तहत कॉलम सं. 3 के भाग 2 में सम्मिलित) एवं समान संख्या वाली अन्य मद अर्थात् 38 (दिनांक 04.05.1999 की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 12 के तहत सम्मिलित), 39, 40 और 41 (दिनांक 10.01.2005 की अग्रिम शुधि पर्ची सं. 46 के तहत सम्मिलित) को आरएसपीआर-1986 की अनुसूची-VII से हटाया जाता है।

3. परिणामस्वरूप, मद सं. 23, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 38 और 41 (दिनांक 27.05.2008 की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 57 के तहत सम्मिलित) को पुन: अंकित किया जाता है और तदनुसार मद सं. 18 से आगे आरएसपीआर-1986 की अनुसूची-VII के कॉलम सं.2 एवं 3 को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 83 के अनुसार संशोधित किया जाए।

वी. मुरलीधरन
(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त.

ई(डब्ल्यू)2019/पीएस5-1/5 नई दिल्ली, दिनांक 29.11.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:-
भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

वी. मुरलीधरन
(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली.
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली.
3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद,13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली.
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली.
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली.
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली.
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन.
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा सं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन.
11. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन.
12. महासचिव, अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन, कमरा सं.-256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
13. महासचिव, अखिल भारतीय अजा/अजजा रेलवे इंप्लाइज एसोसिएशन, कमरा सं.7, रेल भवन, नई दिल्ली.
14. महासचिव, अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे इंप्लाइज फेडरेशन, कमरा सं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

(i) निदेशक(जीए), रेलवे बोर्ड।
(ii) रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
(iii) मानक सूची के अनुसार।

रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण- 1993) की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 83

अनुसूची-VII की मद सं. 18 से कॉलम सं. 2 एवं 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

<table>
<tr><th>हकदारी की शर्तें</th><th>हकदारी/सुविधाएं</th></tr>
<tr><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>(18)क्वासी रेल संस्थानों की प्रबंध समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए।</td><td>रेल कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटियों, बैंकों आदि की प्रबंध समितियों के रेल सेवक सदस्यों को निदेशक बोर्ड और उप समितियों सहित प्रबंध समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए सुविधा खाते पर हकदार श्रेणी के विशेष पास जारी किए जा सकते हैं लेकिन शेयरधारकों की साधारण, वार्षिक, सामान्य या असाधारण बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे पास जारी नहीं किए जाएंगे।</td></tr>
<tr><td>(19) निलंबनाधीन रेल सेवक।</td><td>(i) निलंबनाधीन रेल सेवकों को पास/सुविधा टिकट आदेश अधिकार स्वरूप नहीं दिया जाएगा अपितु आपवादिक परिस्थितियों में दिया जा सकता है जब रेल सेवक को स्टेशन छोड़ने की अनुमति किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा दी गई है जो निलंबित करने वाले प्राधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो।
(ii) निलंबनाधीन रेल सेवकों को निम्नलिखित स्केल पर पास/सुविधा टिकट आदेश दिए जा सकते हैं:-
<table>
<tr><th>ग्रुप</th><th>पास</th><th>सुविधा टिकट आदेश</th></tr>
<tr><td>क एवं ख</td><td>3 सेट, यदि अधिकारी ने उस वर्ष देय पासों की संख्या के आधे से अधिक पासों का पहले ही उपयोग कर लिया हो तो उसे कोई पास नहीं दिया जाएगा। यदि अधिकारी निलंबन से निर्मुक्त किए जाने के पश्चात् सेवा में ले लिया जाता है तो चालू कलेंडर वर्ष में निलंबन की अवधि के दौरान जारी किए गए पास उसके पास खाते में डेबिट कर दिए जाएंगे।</td><td>प्रतिवर्ष 2 सेट से अधिक नहीं। अन्य शर्तें वहीं रहेगी जो पास के लिए निर्धारित हैं।</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>एक सेट पास से अधिक नहीं परंतु यदि रेल सेवक के पास खाते में उस वर्ष पास का केवल एक सेट ही बचा है तो कोई पास जारी नहीं किया जा सकता, यदि रेल सेवक निलंबन से निर्मुक्त किए जाने के पश्चात् सेवा में ले लिया जाता है तो चालू कलैंडर वर्ष में निलंबन अवधि के दौरान जारी किए गए पास उसके पास खाते में डेबिट कर दिए जाएंगे।</td><td>प्रतिवर्ष 2 सेट से अधिक नहीं। अन्य शर्तें वहीं रहेगी जो पास के लिए निर्धारित हैं।</td></tr>
</table>
(iii) निलंबनाधीन रेल सेवक को पास/सुविधा टिकट आदेश जारी करने का अधिकार ग्रुप 'क' और 'ख' अधिकारी के मामले में महाप्रबंधक और अन्यों के मामले में विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक अथवा उप विभागाध्यक्ष को होगा।
(iv) निलंबन से स्कूल पास की पात्रता प्रभावित नहीं होगी।
(v) निलबंन की अवधि के दौरान जारी किए गए पासों में आश्रित रिश्तेदारों/परिवार के सदस्यों को सम्मिलित किया जा सकता है।
(vi) जब एक निलंबनाधीन रेल सेवक को स्टेशन छोड़ने की अनुमति न हो तब उस स्थिति में उसके अनुरोध पर आश्रित रिश्तेदारों/परिवार के सदस्यों को ऊपर (ii) में निर्धारित सीमा के अंतर्गत विशेष पास जारी किए जा सकते हैं।</td></tr>
</table>

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 29.11.2019 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2019/पीएस5-1/5)

हकदारी की शर्तें	हकदारी/सुविधाएं
2	3
(20) सम्मेलनों, महासभाओं या बैठकों में भाग लेने के लिए।	रेल सेवकों को भारत में बैठक या सम्मेलनों या महासभाओं में भाग लेने के लिए स्वयं के अनुरोध पर बैठक के स्थान तक जाने और आने के लिए विशेष पास जारी किए जा सकते हैं बशर्ते कि ऐसी बैठकों में भाग लेने में सरकार का हित हो।
(21) कैम्पों में जाने वाले टैरिटोरियल आर्मी पर्सनलों को परिवार पास।	टैरिटोरियल आर्मी रिजर्वस, लोक सहायक सेना, नेशनल कैडेट कॉर्पस आदि में शामिल होने वाले रेल सेवकों के परिवारों को टैरिटोरियल आर्मी रिजर्वस आदि में शामिल होने से संबंधित रेल सेवकों के नामाकंन मैनुअल में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत पास दिया जाएगा।
(22) बच्चों के कैम्पों से संबंधित यात्रा।	महाप्रबंधक स्वविवेक का इस्तेमाल करके विशेष पास जारी कर सकता है। ऐसे पास अन्य क्षेत्रीय रेलों के स्टेशनों तक भी जारी किए जा सकते हैं।
(23) सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए।	सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए रेल सेवकों और उसके परिवार के सदस्यों को विशेष पास जारी नहीं किए जाने चाहिए। तथापि, रेल सेवकों और परिवार के सदस्यों तथा आश्रित रिश्तेदारों (जैसा कि पास नियम में परिभाषित है) को अंतर-रेलवे सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं और रेलवे सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मौजूदा पास नियमों के अंतर्गत संबंधित रेल सेवकों को सामान्यत: अनुमेय श्रेणी का विशेष पास जारी किया जा सकता है।
(24) सेवानिवृत्त रेल सेवकों को उसके विरूद्ध चलाए गए अनुशासनिक मामलों में अपना बचाव तैयार करने के लिए प्रलेखों का अवलोकन करने के लिए ।	सेवानिवृत्त रेल सेवक को प्रलेखों का अवलोकन करने के लिए अपने गांव/रहने के स्थान से उस स्थान तक जहां प्रलेख रखे हुए हैं (जिसकी भी दूरी कम हो) तक जाने के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व हकदार श्रेणी का पास दिया जाएगा।
(25) चिकित्सा की दृष्टि से विकोटिकृत कर्मचारियों को जब वैकल्पिक नियुक्ति के लिए उन्हें उनकी उपयुक्तता के लिए बुलाया जाए।	उस श्रेणी का विशेष पास जिसके लिए वे नियमों के अंतर्गत हकदार हैं।
(26) सेवानिवृत्त रेल सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही में रेल सेवकों के बचाव में सहायता करने के लिए जांच आयोग या बोर्ड की किसी बैठक, सम्मेलन, समिति में उपस्थित होने या समुचित प्राधिकार के अंतर्गत विभागीय जांच में उपस्थित होने या जब मानद क्षमता में कोई सार्वजनिक ड्यूटी देनी अपेक्षित हो ।	उस श्रेणी का पास प्रदान किया जाएगा जिसके लिए वह सुविधा खाते पर सेवा के दौरान हकदार था।
(27) रेल सुरक्षा बल डॉग हैंडलर/ निरीक्षकों को।	जब रेल सुरक्षा बल के डॉग्स को रेल सप्ताह समारोह, चैंपियन डॉग शो आदि में भाग लेने के लिए भेजा जा रहा हो, प्रथम श्रेणी का पास डॉग्स को ले जाने की अनुमति के साथ प्रदान किया जाएगा।

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 29.11.2019 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2019/पीएस5-1/5)

(28)बाजार पास जारी करना।	महाप्रबंधक या विभागाध्यक्ष दूरस्थ स्टेशनों पर तैनात अपने कर्मचारियों के लिए बाजार पास जारी कर सकते हैं जहां जीवन की साधारण आवश्यकताएं भी मिल नहीं पाती हैं या सस्ती/उचित दरों पर प्राप्त नहीं होती हैं। बहरहाल, यह सुविधा केवल ऐसे सेक्शनों/स्टेशनों पर दी जाती है, जहां यह पहले से ही दी जा रही हैं। नए सेक्शनों/स्टेशनों पर इस सुविधा को बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से ही दिया जा सकता है। ऐसे पासों की संख्या न्यूनतम रखी जानी चाहिए और इन्हें देने से पूर्व अनुरोध की समुचित संवीक्षा की जानी चाहिए। निकटवर्ती मार्किट/बाजार के विकास को देखते हुए प्रत्येक तीन वर्ष के बाद इस सुविधा को जारी रखने की जरुरत पर समीक्षा भी की जानी चाहिए।
(29)क्षेत्रीय मुख्यालय स्टेशनों/मंडल मुख्यालय स्टेशनों/केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में एआईआरएफ/एनएफआईआर द्वारा आयोजित कर्मचारी शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ।	प्रतिभागी अथवा प्राध्यापक (लेक्चरर)/अनुदेशक(इंस्ट्रक्टर) के रूप में कर्मचारी शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए रेल सेवकों को विशेष पास जारी किए जा सकते हैं।
(30) समूह 'बी' राजपत्रित पदों और उससे ऊपर के सेवानिवृत्त रेल अधिकारी, जिन्हें डीएंडएआर मामलों में रेलवे जांच अधिकारी के रूप में पैनलबद्ध किया गया हो, को जांच करने अथवा प्रशिक्षण हेतु अथवा इससे संबंधित किसी अन्य अधिकारिक प्रयोजन के लिए यात्रा करनी हो।	सेवानिवृत्ति के समय ड्यूटी खाते पर यथा अनुमेय श्रेणी का पास स्वयं तथा पति/पत्नी के लिए, द्वितीय/स्लीपर श्रेणी में सहचर के साथ आवास स्थान से क्षेत्रीय रेल मुख्यालय तक जारी किया जा सकता है और ऐसे मामलों मे, जहां अपेक्षित हो, अस्वस्थ सेवानिवृत्त सीओ के आवास के निकट स्थान के लिए जहां सेवानिवृत्त सीओ की जांच की जानी हो और प्रशिक्षण के मामले में उस स्थान तक जहां एसडीजीएम/सीवीओ के प्राधिकार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना हो, पास जारी किए जा सकते हैं।

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 29.11.2019 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2019/पीएस5-1/5)